डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2023–24

श्रीमती कृष्णा गौर
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मान. मंत्रीजी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

मान. मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर द्वारा शासकीय पिछड़ा वर्ग, पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, भोपाल का निरीक्षण

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2023–2024

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023–24

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण
	विभाग की प्रशासकीय संरचना
1.	भाग–एक सामान्यः 1.1. संक्षिप्त जानकारी 1.2. विभागीय संरचना 1.3. अधीनस्थ मण्डल / उपक्रम / संस्थाएँ 1.4. विभाग के दायित्व
2.	भाग –दो बजट विहंगावलोकन वर्ष 2023–2024
3	भाग – तीन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 3.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँ 3.2. अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ 3.3. अभिनव योजनाएँ
4.	भाग–चार विभाग के अंतर्गत आने वाले आयोग / निगम / मण्ड़ल / उपक्रम / संस्थाओं का विवरण
5.	भाग– पांच सामान्य प्रशासनिक विषय
6.	भाग–छः प्रकाशन
7.	भाग – सात राज्य की महिला नीति

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	–	माननीय श्रीमती कृष्णा गौर
अपर मुख्य सचिव	–	श्री अजीत केसरी
विभागाध्यक्ष (आयुक्त)		श्री सौरभ कुमार सुमन
सर्वे वक्फ आयुक्त	–	श्री सौरभ कुमार सुमन
उप सचिव	–	श्री कुमार पुरूषोत्तम
अवर सचिव,	–	– रिक्त –
प्रबंध संचालक,म0प्र0 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	–	श्री कुमार पुरूषोत्तम
पीठासीन अधिकारी, म0प्र0 राज्य वक्फ अधिकरण भोपाल	–	श्री तनवीर अहमद खान
संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल	–	डॉ. नीलेश देसाई
सचिव, म0प्र0राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	–	– रिक्त –
सचिव,म0प्र0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग	–	– रिक्त –
सचिव, म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग	–	डॉ. सूरज खोदरे
प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड	–	डॉ. फरज़ाना गज़ाल
सचिव एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य हज कमेटी	–	डॉ. फरज़ाना गज़ाल
प्रभारी सचिव मसाजिद कमेटी भोपाल	–	श्री सैय्यद उवैस अली
सचिव मध्यप्रदेश देवनारायण बोर्ड	–	डॉ. सूरज खोदरे
सचिव मध्यप्रदेश माँ अहिल्यादेवी कल्याण बोर्ड	–	श्री सी.एल. गौतम

मध्यप्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

विभाग की प्रशासकीय संरचना

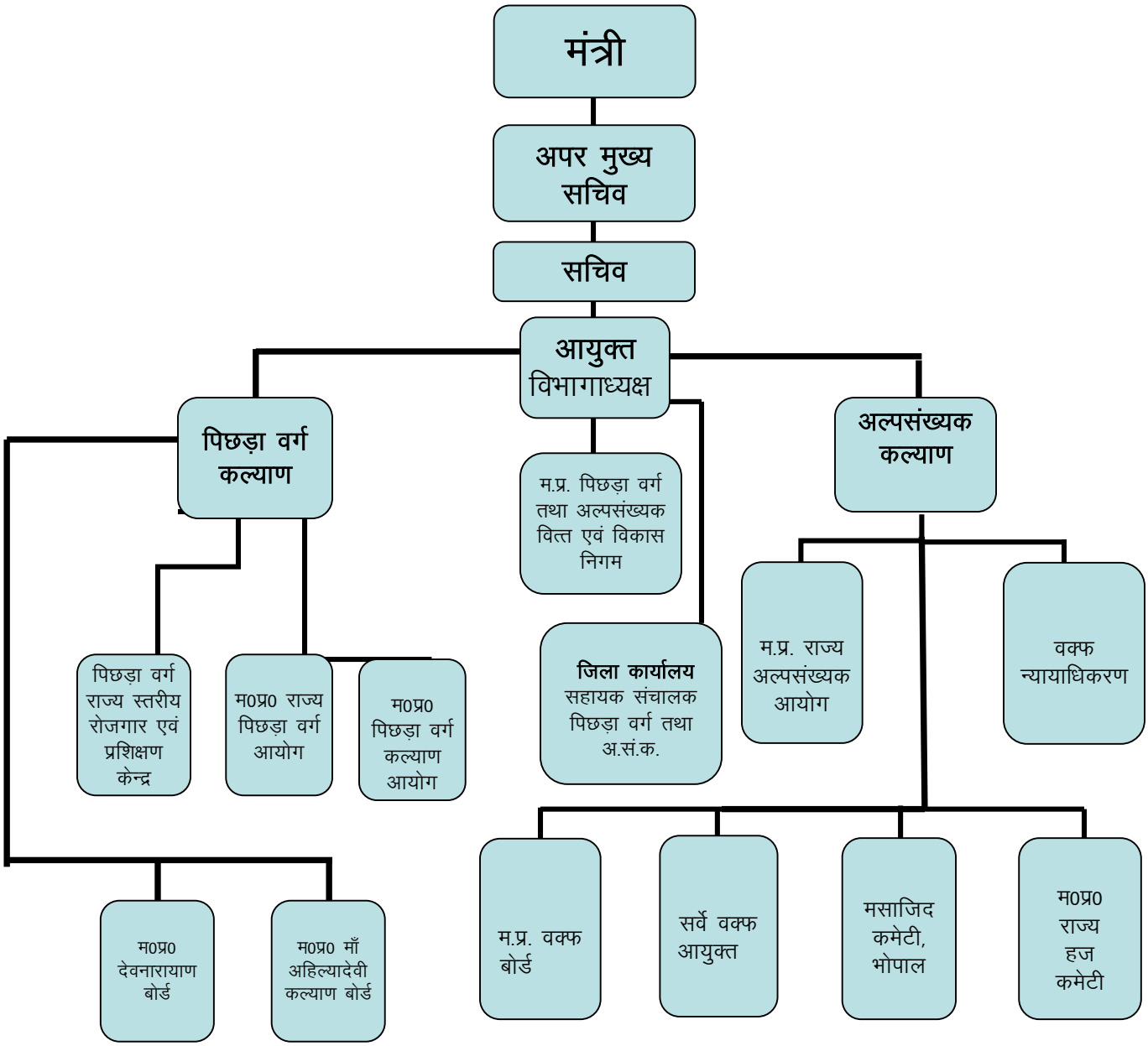

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण

भाग –एक

सामान्य

1.1– संक्षिप्त जानकारी : –

महाजन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये सर्वप्रथम दिनांक 12.10.1982 को ''संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण'' की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विकास की गति तेज करने की दृष्टि से दिनांक 12 सितम्बर 1995 को राज्य शासन द्वारा पृथक से ''पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग'' गठित किया गया। मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल 94 जाति/उप जाति/वर्ग समूह पिछड़ा वर्ग के रुप में घोषित हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का पृथक से गठन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 6–2–1995 द्वारा किया गया तत्पश्चात् उसी विभाग की अधिसूचना दिनांक 12–9–1995 के द्वारा विभाग का पुनर्गठन किया जाकर, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गठित किया गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 6 धार्मिक समुदायों क्रमशः मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी को प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषित किया गया है।

1.2 विभागीय संरचना :

1.2.1 विभागाध्यक्ष –पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार विभागाध्यक्ष घोषित है –

(1) आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण,

(2) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

1.2.2 स्वीकृत पद –

विभागाध्यक्ष कार्यालयः–

आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में वर्तमान में स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

संवर्ग	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
वरिष्ठ आय.ए.एस.	आयुक्त / संचालक	वरिष्ठ आई.ए.एस.	01	01	0
प्रथम श्रेणी	संयुक्त संचालक उप संचालक वरिष्ठ लेखाधिकारी	15600–39100+7600 ग्रेड पे 15600–39100+6600 ग्रेड पे 15600–39100+6600 ग्रेड पे	01 01 01	0 0 01	01 01 0
द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	15600–39100+5400 ग्रेड पे	03	02	01
	सहायक अनुसंधान अधिकारी	15600–39100+5400 ग्रेड पे	01	01	0
तृतीय श्रेणी	अधीक्षक	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	शीघ्रलेखक–वर्ग 2	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	0	01
	सहा.सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	0	01
	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	9300–34800+3600 ग्रेड पे	01	01	0
	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5200–20200+2800 ग्रेड पे	01	0	01
	सहायक वर्ग–1	5200–20200+2800 ग्रेड पे	03	0	03
	लेखापाल	5200–20200+2400 ग्रेड पे	02	0	02
	शीघ्रलेखक वर्ग–3	5200–20200+2800 ग्रेड पे	01	01	0
	सहायक वर्ग–2	5200–20200+2400 ग्रेड पे	03	02	01
	सहायक वर्ग–3	5200–20200+1900 ग्रेड पे	10	07	03
	स्टेनो टाइपिस्ट	5200–20200+1900 ग्रेड पे	01	0	01
	वाहन चालक (02पद नियमित एवं 02 पद कार्यभारित)	5200–20200+1900 ग्रेड पे	04	03 आउटसोर्स से 02 कर्मचारी कार्यरत	01

	वाहन चालक (दैनिक वेतन भोगी)	कलेक्टर दर	01	01 आउटसोर्स से कार्यरत	0
	कम्प्यूटर ऑपेरटर (कलेक्टर दर/आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	04	04	0
चतुर्थ श्रेणी	दफ्तरी	4440–7440+1400 ग्रेड पे	01	0	01
	भृत्य	4440–7440+1300 ग्रेड पे	13	13	0
	भृत्य (स्थायी कर्मी)	4000–80–7000	02	01	01
	भृत्य (कलेक्टर दर/ आऊट सोर्सिंग से)	कलेक्टर दर	02	02	0

1.2.3 अधीनस्थ कार्यालय :–

सर्वे वक्फ आयुक्तः–

आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के अधीन सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल के कार्यालय के आधीन स्वीकृत भरे रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	सर्वे वक्फ आयुक्त	01	0	01	15600–39100+7600 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 14)
2.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–2	01	0	01	5200–20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
3.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–3	01	0	01	5200–20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 4)
4.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	01	01	0	4440–7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 1)

राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण):–

विभाग अंतर्गत मुख्यालय भोपाल में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं रोजगार मूलक विषयों में प्रशिक्षण देने हेतु संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल कार्यालय संचालित है। केन्द्र में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	संचालक	01	01	0	123100–215900
2.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक (प्रशिक्षण)	01	01	0	56100–177500
3.	द्वितीय श्रेणी	वार्डन	01	0	01	36200–114800
4.	तृतीय श्रेणी	ग्रंथपाल	01	0	01	28700–91300
5.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	0	01	25300–80500
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग–2	01	0	01	19500–62000
7.	तृतीय श्रेणी	स्टेनोटायपिस्ट	01	0	01	19500–62000
8.	तृतीय श्रेणी	सहायक वर्ग–3	02	02	0	19500–62000
9.	चतुर्थ श्रेणी	नियमित भृत्य	02	02	0	15500–49000
10.	संविदा	अधीक्षिका, शिक्षक वर्ग–2	01	01	0	संविदा कर्मियों के लिए निर्धारित वेतनमान
11.	चतुर्थ श्रेणी	दैनिक वेतन भोगी	08	01 स्थाई कर्मी, 03 आउटसोर्स	04	निर्धारित कलेक्टर दर आउटसोर्सिंग के आधार पर

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल :–

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम भोपाल में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	सातवा वेतनमान
1	प्रबंध संचालक	01	01	–	उप सचिव, म.प्र.शासन, पि.व.तथा अ.स.क. विभाग के पास अतिरिक्त प्रभार भारतीय प्रशासनिक सेवा
2	प्रबंधक वित्त	01	–	01	67300/–
3	सहायक प्रबंधक	01	–	01	42700/–
4	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	–	01	36300/–
5	कनिष्ठ शीध्रलेखक	02	–	02	29600/–
6	लेखापाल	02	01	01	25300/–
7	उच्च श्रेणी लिपिक	01	–	01	25300/–
8	स्टेनो टायपिस्ट	01	01	–	19500/–
9	निम्न श्रेणी लिपिक	03	03	–	19500/–
10	वाहन चालक	03	02	01	19500/–
11	भृत्य	02	01	01	16000/–
12	भृत्य (स्थाईकर्मी)	04	03	01	4000–7000
13	सफाई कर्मी अंशकालीन	01	01	–	जिलाध्यक्ष दर

नोट– 02 कर्मचारी आउटसोर्सिग पर रखे गये है । 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं 01 वाहन चालक।

मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :– म0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	आयोग में स्वीकृत पद नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	भरे पद	रिक्त पद
1	सचिव (राज्य प्रशासनिक सेवा)	15600–39100+6600	1	0	1
2	उप संचालक	15600–39100+6600	1	1	0
3	अनुसंधान अधिकारी	15600–39100+6600	1	1	0
4	कार्यालय अधीक्षक	9300–34800+3600	1	0	1
5	निज सचिव	9300–34800+4200	4	1	3
6	निज सहायक	9300–34800+3600	4	0	4
7	शीघ्रलेखक	9300–34800+3600	1	0	1
8	प्रोग्रामर	9300–34800+3200	1	0	1
9	लेखापाल	5200–20200+2400	1	0	1
10	अन्वेषक	5200–20200+2400	1	0	1
11	सहायक ग्रेड–2	5200–20200+2400	1	0	1
12	संगणक	5200–20200+2100	1	0	1
13	स्टेनो टायपिस्ट	5200–20200+1900	2	0	2
14	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+1900	1	1	0
15	कार्यभारित एवं आकस्मिक सेवा–वाहन चालक	5200–20200–1900	4	3	1
16	भृत्य (स्थाई कर्मी)	4000–80–7000	13	2	11
17	चौकीदार (स्थाई कर्मी)	4000–80–7000	1	0	1
18	फर्राश (स्थाई कर्मी)	4000–80–7000	1	1	0
	योग		40	10	30

मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोगः—राज्य अल्पसंख्यक आयोग के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

स.क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	संवर्ग वेतनमान	01	0	01
2.	अनुसंधान अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे.4200	01	0	01
3.	अनुभाग अधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे.4200	01	0	01
4.	निज सचिव	9300—34800 ग्रेड पे.4200	01	0	01
5	स्टेनोग्राफर	9300—34800 ग्रेड पे.3600	01	01	0
6.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	9300—34800 ग्रेड पे.3200	01	0	01
7.	सहायक वर्ग—1	5200—20200 ग्रेड पे.2800	01	0	01
8	सहायक वर्ग—2	5200—20200 ग्रेड पे.2400	02	01	01
9	सहायक वर्ग—3	5200—20200 ग्रेड पे.1900	04	02	02
10	वाहन चालक	5200—20200 ग्रेड पे.1900	01	01	0
11	भृत्य	4440—7440 ग्रेड पे.1300	03	03	0
12	वाहन चालक	दैनिक वेतन भोगी	02	00	02
13	भृत्य	दैनिक वेतन भोगी	01	01	0
		कुल	20	09	11

म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण हेतु स्वीकृत पदः–

वक्फ अधिकरण में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	संवर्ग	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	प्रथम श्रेणी	अध्यक्ष (जिला न्यायाधीश)	01	01	0	144840–194660 लेवल J–5
2	राज्य प्रशासनिक सेवा	सदस्य	01	01	0	
3	मुस्लिम विधि शास्त्री	सदस्य	01	01	0	25000/–प्रतिमाह मानदेय पर
4	तृतीय श्रेणी	शीघ्र लेखक	01	00	01	28700–91300 लेवल–7
5	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	01	00	01	25300–70000 लेवल–6
6.	तृतीय श्रेणी	प्रस्तुतकार	01	00	01	22100–80500 लेवल–5
7	तृतीय श्रेणी	साक्ष्य लेखक	01	01	00	19500–62000 लेवल–4
8	तृतीय श्रेणी	आदेशिका लेखक	01	01	00	19500–62000 लेवल–4
9	तृतीय श्रेणी	प्रतिलिपिकार	01	01	00	19500–62000 लेवल–4
10	तृतीय श्रेणी	निष्पादन लिपिक	01	00	01	19500–62000 लेवल–4
11	चतुर्थ श्रेणी	आदेशिका वाहक	01	01	00	15500–49000 लेवल–1, 70/– रु. निश्चित यात्रा भत्ता
12	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	02	02	00	15500–49000 लेवल–1
13	चतुर्थ श्रेणी	चौकीदार सह फर्राश	01	01	00	15500–49000 लेवल–1
14	चतुर्थ श्रेणी	वाहन चालक (दैनिक वेतन भोगी)	01	00	01	स्थाई कर्मी वेतनमान 4500–90–7500
15	संविदा	सहायक वर्ग–3	02	00	02	रू. 8000/–प्रतिमाह निश्चित वेतन
16	संविदा	भृत्य	02	00	02	रू. 5000/–प्रतिमाह निश्चित वेतन

म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग हेतु स्वीकृत पदः–

म0प्र0 पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	सचिव	01	01	00	15600–39100 + 5400 ग्रेड पे
2	कार्यालय सहायक	02	02	00	5200–20000 + 1900 ग्रेड पे
3	भृत्य	02	02	00	4440–7440 + 1300 ग्रेड पे

नोट – कार्यालय सहायक एवं भृत्य आउटसोर्स से लिए गए हैं।

जिला कार्यालयों हेतु स्वीकृत पदः–

पिछड़ा वर्ग कल्याण अंतर्गत वर्ष 2012–13 से विभाग के नवीन जिला कार्यालय स्थापित किये गये तथा प्रत्येक जिले में सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को कार्यलय प्रमुख एवं आहरण संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है। जिला कार्यालय हेतु स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संवर्ग	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतनमान
1.	द्वितीय श्रेणी	सहायक संचालक	51	23	28	15600–39100+5400 ग्रेड पे (सातवें वेतनमान में लेवल 12)
2.	तृतीय श्रेणी	निरीक्षक	51	43	08	9300–34800+3600 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 9)
3.	तृतीय श्रेणी	कनिष्ठ लेखाधिकारी	51	02	49	5200–20200+2800 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 7)
4.	तृतीय श्रेणी	लेखापाल	50	02	48	5200–20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
5.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–2	51	10	41	5200–20200+2400 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 6)
6.	तृतीय श्रेणी	सहायक ग्रेड–3	51	48	03	5200–20200+1900 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 5)
7.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य	51	21	30	4440–7440+1300 ग्रेड पे (सातवें वेतन मान में लेवल 1)
8.	तृतीय श्रेणी	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	50	50	0	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 1 पद)
9.	चतुर्थ श्रेणी	भृत्य/फर्राश कम चौकीदार	100	100	00	कलेक्टर दर पर (आऊट सोर्सिंग से प्रति जिला 2 पद)

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ :

विभाग के अंतर्गत निम्न मण्डल/उपक्रम/संस्थाएँ स्थापित हैं :–

1. मण्डल/उपक्रम – म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम.
2. संस्थाएँ –
    1. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
    2. राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल
    3. मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग
    4. मध्यप्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण
    5. मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड
    6. मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी
    7. मसाजिद कमेटी, भोपाल
    8. सर्वे वक्फ आयुक्त भोपाल
    9. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग
    10. मध्यप्रदेश देवनारायण बोर्ड
    11. मध्यप्रदेश माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड

1.4 विभाग के दायित्व :–

1.4.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण :

1. पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण कार्यक्रम।
2. पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति योजनाएं एवं छात्रावास योजना संचालित करना।
3. पिछड़े वर्गो को अन्य सुविधाए प्रदान करना।
4. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित विषय।
5. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से संबंधित कार्य।
6. पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियां।
7. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से संबंधित विषय।
8. मध्यप्रदेश देवनारायण बोर्ड से संबंधित विषय।
9. मध्यप्रदेश माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड से संबंधित विषय।

1.4.2 अल्पसंख्यक कल्याण :

1. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाएं एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास योजना संचालित करना।
2. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास योजना।
3. वक्फ और उससे संबंधित विषय।
4. अल्पसंख्यकों के लिये 15 सूत्रीय कार्यक्रम।
5. म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित विषय।
6. राज्य के लिये हज समिति तथा भूतपूर्व भोपाल रियासत की मसाजिद समिति से संबंधित विषय।
7. अल्पसंख्यकों से संबंधित विषय।

भाग–दो

बजट प्रावधान विहंगावलोकन (एक दृष्टि में) 2023–24

अ पिछड़ा वर्ग कल्याण – कुल बजट प्रावधान **रू.153432.81 लाख**

क्रं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान (रू.लाख में)	31 मार्च, 2024 तक व्यय (रू.लाख में)
1	2	3	4
1	जिला कार्यालयों की स्थापना	2098.93	1500.60
2	संचालनालय की स्थापना	509.48	322.60
3	राज्य छात्रवृत्ति–(योजना स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित)	28800.00	21931.50
4	राज्य स्तरीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंन्द्र भोपाल	121.95	90.48
5	रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार	35.00	0.00
6	मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग	180.98	124.62
7	आश्रम और छात्रावास	656.42	362.67
8	छात्रगृह योजना	30.80	8.74
9	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	90000.00	89331.67
10	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना)	20000.00	2519.48
11	प्रावीण्य छात्रवृत्ति	15.00	3.00
12	उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति	1500.00	1380.71
13	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना	646.70	343.31
14	बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	1000.00	190.00
15	म0प्र0पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजना	0.50	0.00
16	म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (स्थापना)	136.00	136.00
17	संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा	40.00	27.10
18	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	0.01	0.00
19	विभागीय परिसम्पत्तियों का संधारण	2461.00	725.31
20	पिछड़ा वर्ग युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता	5000.00	19.27
21	म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग	200.00	65.25
	योग – मुख्यशीर्ष 2225	**153432.77**	**119082.31**
	मुख्यशीर्ष 4225 :–		
22	जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माणः– (राज्य का हिस्सा + केन्द्र का हिस्सा)	0.02	0.00
23	जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माणः– (राज्य का हिस्सा + केन्द्र का हिस्सा)	0.02	0.00
	योग – मुख्यशीर्ष 4225	**0.04**	**0.00**
	कुल महायोग–मुख्यशीर्ष 2225+4225	**153432.81**	**119082.31**

बजट प्रावधान विहंगावलोकन वर्ष 2023–24

ब. अल्पसंख्यक कल्याण –कुल बजट प्रावधान– रू. **15457.62 लाख**

क्र	योजना का नाम	बजट प्रावधान (रू.लाख में)	31 मार्च, 2024 तक व्यय (रू.लाख में)
1.	वक्फ कमिश्नर का कार्यालय	8.54	2.97
2.	मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग	177.83	64.59
3.	मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल को सहायक अनुदान	220.00	213.40
4.	मसाजिद कमेटी भोपाल को सहायक अनुदान	388.00	388.00
5.	मध्यप्रदेश हज कमेटी को सहायक अनुदान	180.00	180.00
6.	चर्च एवं दरगाह को सहायक अनुदान	60.00	0.00
7	वक्फ न्यायाधिकरण का गठन	152.03	80.57
8	पोस्टमैट्रिक अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास	65.25	28.17
9	बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण	54.66	11.17
10	अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	46.34	0.00
11	मध्यप्रदेश हज कमेटी को हज हाऊस के निर्माण हेतु अनुदान	60.00	0.00
12	राज्य छात्रवृत्तियां (केन्द्र प्रवर्तित–0701/केन्द्र क्षेत्रीय–0801)	12.97	0.00
13	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	0.02	0.00
14	अल्पसंख्यकों का शिक्षा संशक्तिकरण	0.02	0.00
15	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय–0801)	20.00	0.00
16	मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति (केन्द्र क्षेत्रीय–0801)	2.00	0.00
17	अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम (केन्द्र क्षेत्रीय)	14000.00	84.03
18	विभागीय परिसम्पत्तियों का संधारण	10.00	0.00
	कुल योग :–	**15457.62**	**1052.90**

भाग–तीन

विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण अन्तर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार है :–

3.1 पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँः–

3.1.1 राज्य योजनाएँः

(1) राज्य छात्रवृत्तिः–

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार हैंः–

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रू0 20.00	रू0 30.00
9 एवं 10	रू0 30.00	रू0 40.00

राज्य छात्रवृत्ति की पात्रता पिछड़े वर्ग के उन विद्यार्थियों को हैं जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं. इसके साथ ही यह लाभ उन परिवार के विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध नहीं होगा जिनके पास दस एकड़ से अधिक भूमि है। वित्तीय वर्ष 2013–14 से यह योजना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

वर्ष 2021–22 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 32.93 लाख विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं जोडकर) को राशि रू. 243.06 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। गत वर्ष 2022–23 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 32.04 लाख विद्यार्थियों (कक्षा 11वीं एवं 12वीं जोडकर) को छात्रवृत्ति राशि रू. 227.66 करोड़ स्वीकृत कर वितरित की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 263.00 करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई, जिसके विरूद्ध स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 32.83 लाख विद्यार्थियों को राशि रुपये 220.15 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई।

(2) पोस्ट –मैट्रिक छात्रवृत्तिः–

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है। पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता–पिता /अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू. 3.00 लाख से कम हो। वित्तीय वर्ष 2013–14 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है एवं समेकित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का बजट प्रावधान राज्य छात्रवृत्ति मद अंतर्गत किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–12–01/11/ 54–1 दिनांक 12–12–2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नियम 2003 में आंशिक संशोधन कर संशोधित नियम 2013 जारी किये गये है। जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित प्रावधान सम्मिलित किए गए है :–

2.1 छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए संबंधित विद्यार्थी की संबंधित शिक्षण संस्था में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इस आशय का स्पष्ट प्रमाणपत्र संस्था के प्राचार्य द्वारा संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छात्रवृत्ति का वितरण ऑनलाइन, नियमानुसार एवं पात्रतानुसार किया जाता है।

2.2. छात्रवृत्ति का वितरण पूर्णतः शिक्षण शुल्क एवं अन्य व्यय सहित ऑनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में किया जाता है ।

2.3. कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण का दायित्व वित्तीय वर्ष 2013–14 से स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपा गया है जिनकी छात्रवृत्ति का भुगतान पिछडा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना मद में किए गए प्रावधान से किया जाता है। अतएव कक्षा 11 वीं एवं कक्षा 12 वीं के छात्रों को छोडकर पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं के शेष छात्रों का भुगतान पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बजट प्रावधान से किया जाता है।

2.4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछडे वर्ग के विद्यार्थियों की औसत 75 प्रतिशत वार्षिक उपस्थिति एवं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पुष्टि के पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावे। छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के पूर्व स्वीकृत पाठ्यक्रम की मान्यता, वास्तविक विद्यार्थियों के प्रवेश, संस्था की मान्यता का पूर्ण परीक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जाए। कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी (बीमारी आदि की स्थिति को छोडकर) संबंधित कोर्स की परीक्षा में अनिवार्य रुप से प्रवेश लेवें तथा विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान ऑनलाइन विद्यार्थियों के नाम के एकल बैंक खाते में संबंधित जिले के सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा किया जावेगा।

2.5. म.प्र.शासन,पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 1038/1374/ 2016/54–1, दिनांक 5/10/2016 के द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी। विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ही मान्य की जाए जो कि वर्तमान में रूपये 2.50 लाख वार्षिक निर्धारित है। ऐसी छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने पर अतिरिक्त व्यय भार की पूर्ति भारत सरकार की योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से की जाएगी।

2.6. मध्यप्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12–3/2015/54–1 दिनांक 19–06–18 द्वारा राज्य शासन द्वारा मंत्रि–परिषद की बैठक दिनांक 05/06/2018 में लिए गए निर्णय अनुसार शासन आदेश क्रमांक एफ–12–01/11/54–1, दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले प्रतिस्थापित संशोधित विनियम 2013 में निम्नानुसार संशोधन किया गया हैं:–

2.6.1. नियम कण्डिका क्रमांक 3.11 में संशोधन किया जाता है कि–पात्रता उन विद्यार्थियों को है जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा समस्त स्त्रोतों से रू. 3.00 लाख से कम हो।

2.6.2. नियम कण्डिका क्रमांक 5.1 –अनुरक्षण भत्ता में निम्नानुसार दरें संशोधित की जाती हैं :–

समूह	निर्वाह/अनुरक्षण भत्ते की दर (रूपये प्रतिमाह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
समूह–1 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, भारतीय चिकित्सा में डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) बी.एस.सी (कृषि, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पाठ्यक्रम) उच्च तकनीकी तथा सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (जो अन्य समूहों में शामिल नहीं हैं) में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा संचालित विधि विषय में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के पाठ्यक्रम सी.पी.एल./सी.ए./सी.एस./एम–फिल/पी.एच.डी/डी.एस.सी/डी.लिट/एल.एल.एम. आदि	रूपये 850/–	रूपये 380/–
समूह–2 मेडिकल तथा इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा (आयुर्वेद, यूनानी/तिब्बीया तथा होम्योपैथिक) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी, आर्कीटेक्चर तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, होटल प्रबंध/होटल प्रबंध प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम, नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिप्लोमा/डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, व्यवसाय प्रबंध, चार्टड एवं लागत/निर्माण एकाउन्टेन्सी में डिग्री तथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, समस्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम।	रूपये 450/–	रूपये 230/–
समूह–3 बी.ए/बी.एस.सी/बी.काम/बी.एड, समस्त प्रमाण पत्र स्तर के पाठ्यक्रम एवं अन्य जो समूह 1 और 2 में शामिल नहीं है।	रूपये 400/–	रूपये 230/–
ग्रेजुएशन करने से पूर्व के सभी मैट्रिकोत्तर पाठयक्रम जैसे 10+2 प्रणाली में कक्षा 11 तथा 12 और इन्टरमिडियेट परीक्षा आदि	रूपये 400/–	रूपये 230/–

2.6.3. नियम कण्डिका क्रमांक 5.3 – फीस में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

2.6.3.1 ''विद्यार्थियों को नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएं, चिकित्सा–जाँच फीस का तथा शैक्षणिक संस्था या विश्वविद्यालय/मंडल को विद्यार्थी द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाने वाली ऐसी अन्य फीस का भुगतान किया जायेगा परंतु इसमें अवधान राशि, प्रतिपूर्ति जमा जैसी वापसी योग्य जमा रकम में शामिल नहीं होगी एवं यह फीस उसी सीमा तक देय होगी जो किसी शासकीय संस्था (कॉलेज)/शासकीय विश्वविद्यालय में उसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी से ली जाती है।

2.6.3.2 भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.6.3.3 राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.6.3.4 अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज)/अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.6.3.5 मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बी.ई. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई. (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़े वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

2.6.3.6 एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों तथा मात्र वे निजी महाविद्यालय जो म.प्र. राज्य में स्थित हैं, में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा। शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मेधावी छात्र योजना के समान दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रूपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पांच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रूपये पच्चीस लाख होगी।

उपरोक्तानुसार आदेश शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रभावशील होगा।

नोटः– वर्ष 2021–22 से पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन भरने/स्वीकृति/भुगतान की प्रक्रिया डचैम्क्ब द्वारा निर्मित डच्ज्।ौब पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ कर दी गई है ।

उपलब्धियॉ– वर्ष 2021–.22 में छात्रवृत्ति राशि रू. 948.18 करोड़ व्यय कर कुल 8.62 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया। गत वर्ष 2022–23 में राशि रू. 1058.27 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर 7.96 लाख विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल राशि रू 978.43 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर 7.37 लाख विद्यार्थियों को वितरित की गई।

(3) राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्रः (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल : –

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु साधन विहीन युवक–युवतियों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा, एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से दिया जाता है । प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति रूपये 350/– प्रतिमाह, निःशुल्क आवास सुविधा एवं पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांक की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रशिक्षण केन्द्र को पिछड़ा वर्ग हेतु रूपये 15 लाख (ग्लोबल सम्मिलित) का आवंटन जारी किया गया था जिसके विरूद्ध केंद द्वारा रूपये 10.71 लाख व्यय किये गये । प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से वर्ष 2022–23 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पिछड़ा वर्ग के 104 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया । वित्तीय वर्ष 2022–23 में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रूपये 1 लाख का आवंटन जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध केंद्र द्वारा रूपये 35 हजार व्यय किये गये । प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के 06 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षण केन्द्र को पिछड़ा वर्ग हेतु रूपये 15 लाख का आवंटन जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध केन्द्र द्वारा रूपये 9.15 लाख व्यय किये गये । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षण केन्द्र को अल्पसंख्यक वर्ग हेतु रूपये 95,000/– का आवंटन जारी किया गया था, जिसके विरूद्ध केन्द्र द्वारा राशि रूपये 9,000/– व्यय किये गये । प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से पिछड़ा वर्ग के 166 एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 17 इस प्रकार कुल 183 प्रशिक्षणार्थियों को वर्ष 2023–24 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 हेतु कुल 17 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु 03 प्रशिक्षणार्थियों को साक्षात्कार का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

(4) पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक–युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना –

भारत सरकार नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉन्सिल के टेक्निकल इनटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधार पर तैयार की गई इस विभागीय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में पिछड़ा वर्ग के 45 युवाओं को कन्स्ट्रक्शन सेक्टर अंतर्गत एवं 15 युवतियों को केयर वर्कर जॉब रोल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । योजना अंतर्गत इन प्रशिक्षित युवाओं को रूपये 01 लाख प्रतिमाह के वेतन पर 03 से 05 वर्षो के लिए रोजगार हेतु जापान भेजा जाना है । सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रदेश के 05 युवाओं का प्लेसमेंट जापान स्थित कंपनियों में होने के पश्चात वे जापान प्रस्थान कर चुके है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राशि रूपये 02 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। योजनांतर्गत राशि रू. 19.27 लाख का व्यय हुआ है।

(5) पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना :–

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े वर्ग के युवक–युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022–23 में पिछड़ा वर्ग हेतु राशि रूपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया था । उक्त प्रावधानित राशि मे से राशि रूपये 8. 12 करोड़ का व्यय किया जाकर पिछड़ा वर्ग के 3941 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्ग हेतु राशि रूपये 10.00 करोड़ का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रावधानित राशि में से कुल राशि रू. 1,90,16,000/– (एक करोड़ नब्बे लाख सौलह हजार) का व्यय पूर्व के लंबित भुगतान हेतु किया गया है। जबकि म.प्र. शासन वित विभाग द्वारा जून 2023 में जारी आदेश के अनुसार योजना अंतर्गत व्यय की अनुमति प्रदान नही किये जाने से वित्तीय वर्ष 2023–24 में पिछड़ा वर्ग हेतु योजना का संचालन नही किया जा सका है।

(6) छात्रगृह योजनाः –

विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की पात्रता रखते हों के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत् 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों को किराए के भवन में रहने पर भवन किराये की प्रतिपूर्ति निर्धारित दर से शासन द्वारा की जाती है। विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्रगृहों हेतु किराए के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र रूपये 1000/– की दर से निर्धारित किया है।

वर्ष 2019–20 में कुल राशि रू. 90.80 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 56.96 लाख व्यय की जाकर 917 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2020–21 में कुल राशि रू. 90.80 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 73.76 लाख गत वर्ष के लंबित छात्रगृह किराया भुगतान करने पर व्यय की गई है। वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 55.80 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 12.06 लाख व्यय की गई। गत वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 30.80 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 7.92 लाख व्यय की गई । वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 30.80 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध राशि रू. 8.74 लाख व्यय की गई है तथा 50 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है।

(7) स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार :–

समाज सेवियों को सम्मान दिये जाने की योजना वर्ष 2001 से प्रारंभ की गई है। पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के समाज सेवियों को यह सम्मान दिया जाता है। पुरस्कार अंतर्गत पिछड़े वर्ग के 8 पुरूष एवं 8 महिलाओं, प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2015–16 हेतु 7 पुरूष एवं 8 महिला समाज सेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर 06 मई 2018 को बामोरा स्कूल ग्राउण्ड, जिला सागर में उक्त पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016–17 हेतु 8 पुरूष एवं 7 महिला समाजसेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर 16 सितम्बर 2018 को जिला सतना में खुले मैदान में उक्त पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 के लिए समाजसेवियों से विज्ञप्तियों के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये गए है, चयन हेतु ज्यूरी का गठन किया गया है।

(8) महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कारः–

यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश के 01 पुरूष समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्गों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंध विश्वास को दूर करने, सामाजिक समरसता एवं सामाजिक संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उत्कृष्ट सेवा तथा साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन आदि कार्य किए हों। इस पुरस्कार से पुरस्कृत एक समाजसेवी को रूपये दो लाख नगद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में एक समाजसेवी को दिनांक 18.09.2018 को जिला सतना में उक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के लिए दिनांक 11.04.2022 को महात्मा ज्योतिबा फुले जंयती पर महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीन समाज सेवियों को जिला दमोह में सम्मानित किया गया।

(9) सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कारः–

यह पुरस्कार वित्तीय वर्ष 2016–17 से प्रारम्भ किया गया है। यह पुरस्कार प्रदेश की एक महिला समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हों। इस पुरस्कार के अंतर्गत रूपये दो लाख नकद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। वर्ष 2016–17 में एक समाजसेवी को दिनांक 18.09.2018 को जिला सतना में उक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 के लिए विज्ञप्ति के माध्यम से समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है, उक्त पुरस्कारों के वितरण हेतु ज्यूरी का गठन (चयन समिति) हो गया है।

बजट प्रावधान– मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत स्व. रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार, सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार हेतु वर्तमान वर्ष 2023–24 में राशि रू. 35.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था, जिसके विरुद्ध राशि रुपये 12.00 लाख व्यय की गई।

(10) राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहनः–

इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर निम्न तालिका अनुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान हैः–

क्र.	विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रू. में	
		संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
1.	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
2.	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
3.	साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
	योगः	**100000**	**50000**

वित्तीय वर्ष 2021–22 में 53.55 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध रू. 42.85 लाख व्यय की जाकर कुल 213 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 40.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 35.45 लाख व्यय की जाकर 231 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर वितरित की गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 40.00 लाख प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध 170 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाकर राशि रू. 27.10 लाख का व्यय किया गया है।

(11) पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्तिः–

पिछड़ा वर्ग के चयनित विद्यार्थियों को विदेशों में स्नात्तकोत्तर पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (Ph.D) एवं शोध उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2018–19 में राशि रू. 650.00 लाख के उपलब्ध प्रावधान के विरूद्ध रू. 595.43 लाख की राशि व्यय कर नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 26 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राशि रू.1300.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध राशि रू. 1274.65 लाख की राशि व्यय कर नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 35 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में राशि रू.1800.00 लाख का प्रावधान के विरूद्ध 46 विद्यार्थियों पर राशि रूपये 1359.64 लाख व्यय की गई । वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 1200.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 1196.20 लाख व्यय किये जाकर नवीन एवं नवीनीकरण सहित 52 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 1500.00 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 1471.20 लाख व्यय किये जाकर 75 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रुपये 1500 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 1380.71 लाख व्यय किए जाकर नवीन एवं नवीनीकरण सहित 64 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है।

(12) पिछड़ा वर्ग मेधावी छात्रवृत्तिः–

यह योजना वर्ष 2010 से लागू है। योजनांतर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रूपये 5 हजार, एवं 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रूपये 10 हजार का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 15.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 8.15 लाख व्यय कर 120 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 15.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2023–24 में राशि रू. 15.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध 55 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रुपयें 3.00 लाख का व्यय किया गया है।

3.1.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ–

(1) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावासः–

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास भवनों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास स्वीकृत किया गया था, उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

वर्ष 2019–20 में राशि रू. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 25.35 लाख का व्यय किया गया था। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 100.14 लाख व्यय की गई। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया। जिसके विरूद्ध राशि रू. 39.40 लाख व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रू. 570.00 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 125.58 लाख एस.एन.ए. के खाते में जमा की गई। जो वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में बालक छात्रावास भवन निर्माण योजना में टोकन प्रावधान किया गया है।

(2) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास :–

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत् कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है। संभागीय मुख्यालय जबलपुर में 500 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिला दमोह में एक अतिरिक्त 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसी प्रकार जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास स्वीकृत किया गया है। उक्त छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है ।

वर्ष 2019–20 में कुल राशि रूपये 2100.01 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 352.26 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2020–21 में राशि रू. 1200.01 लाख का बजट प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू.456.02 लाख व्यय की गई। वर्ष 2021–22 में राशि रू. 1200.01 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध राशि रू. 183.84 लाख व्यय की गई। वर्ष 2022–23 में राशि रू. 1200.01 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 375.23 लाख व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कन्या छात्रावास भवन निर्माण योजना में केवल टोकन प्रावधान किया गया है।

3.2 अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ :–

भारत सरकार अल्पसख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से संचालित योजनाये :–

(1) अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स योजना :–

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा स्वयं/माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरण हेतु समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 1000 एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 500 प्रतिमाह की दर से 10 माह तक अनुरक्षण भत्ता एवं पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में वास्तविक शुल्क अथवा रू. 20000 जो भी कम हो, दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित/अनुमोदित राष्ट्रीय स्तर की पात्र संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पूरी पाठ्यक्रम फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों द्वारा कुल प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है ।

वर्ष 2020–21 में 2204 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 6.31 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्ष 2021–22 में 2530 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 7.30 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्ष 2022–23 में कुल 2791 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति एवं वितरण हेतु भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित किये गए थे। जिसमें से 1245 केवल नवीनीकरण के विद्यार्थियों को कुल राशि 3.65 करोड़ रुपये विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृती नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

(2) अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :–

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007–08 से प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को (जिनके प्राप्तांक 50% या उससे अधिक है तथा स्वयं/माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 2.00 लाख से अधिक न हो) उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरणों हेतु समुदायवार पृथक–पृथक कोटा निर्धारित है, जिसमें प्रत्येक समुदाय में 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। योजनान्तर्गत कक्षा 11वीं, 12वीं को रू. 7,000 प्रतिवर्ष एवं कक्षा 11वीं, 12वीं के स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों हेतु रू. 10,000 प्रतिवर्ष तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों हेतु रू. 3,000 प्रतिवर्ष प्रवेश एवं ट्यूशन फीस दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रावासी

विद्यार्थियों को रू. 380 प्रतिमाह एवं गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 230 प्रतिमाह एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 570 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 300 प्रतिमाह तथा इसी प्रकार एम0 फिल0 एवं पी0एच0डी0 के छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 1200 प्रतिमाह तथा गैर छात्रावासी विद्यार्थियों को रू. 550 प्रतिमाह देने का प्रावधान है। योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर बनाई जाती है ।

वर्ष 2020–21 में 20120 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 12.92 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्ष 2021–22 में कुल 23628 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 16.13 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्ष 2022–23 में कुल 36927 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति एवं वितरण हेतु भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को अग्रेषित किये गये थे, जिसमें से 5152 केवल नवीनीकरण के विद्यार्थियों को कुल राशि रुपये 3.52 करोड़ विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृती नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

(3) अल्पसंख्यक प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति :–

भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय की मेरिट के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र–छात्राओं को है जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रू. 1.00 लाख से अधिक न हो। अल्पसंख्यक वर्ग के नवीन छात्रवृत्ति प्रकरणों हेतु समुदायवार कोटा निर्धारित कर प्रत्येक समुदाय की 30 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है।योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय के आधार पर बनाई जाती है ।

वर्ष 2020–21 में 115687 विद्यार्थियों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली ऑनलाईन स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 37.31 करोड़ स्वीकृत कराये गये। वर्ष 2021–22 में कुल 139803 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जाकर कुल राशि रू. 47.61 करोड़ स्वीकृत कराये गये।

वर्ष 2022–23 में कुल 36306 विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन छात्रवृत्ति राशि स्वीकृति एवं वितरण हेतु भारत सरकार,, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को अग्रेषित किये गये थे, जिसमें से 8256 केवल नवीनीकरण विद्यार्थियों को कुल राशि रुपये 4.03 करोड़ विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति नियमानुसार एवं पात्रतानुसार दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खातों में किया जाता है।

3.2.1 भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाः–

भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनाः–

भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना संचालित है। योजना अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा राज्य की चार परियोजनाओं के लिए राशि रूपये 35833.04 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 7800.00 लाख का प्रावधान किया गया था। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 6196.30 लाख निर्माण एजेंसियों को जारी की गई। निर्माण एजेंसियों द्वारा राशि रूपये 1795.00 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 16379.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध निर्माण एजेंसी द्वारा राशि रूपये 3354.00 लाख व्यय की गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 14000.00 लाख़ का प्रावधान किया गया है तथा जिसके विरूद्ध राशि रूपये 84.03 लाख आहरित कर विभाग के SNA के खाते में जमा कराई गई है। पूर्व से SNA के खाते में जमा राशि में से राशि रूपये 4255.00 लाख की व्यय सीमा योजनांतर्गत निर्धारित की गई। जिसके विरुद्ध राशि रुपये 1891.89 लाख व्यय की गई।

(राशि रूपये लाख में)

क्र.	जिला	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	केन्द्रांश	राज्यांश	भारत सरकार द्वारा जारी प्रथम किस्त
1.	भोपाल	आवासीय विद्यालय, आरिफ नगर, भोपाल	3600.00	2160.00	1440.00	1080.00
2.	भोपाल	गांधी मेडिकल कॉलेज का उन्नयन	31696.00	19017.60	12678.40	9508.80
3.	भोपाल	शासकीय यूनानी कॉलेज में 180 सीटर कन्या छात्रावास का निर्माण	516.00	309.60	206.40	154.80
4.	खण्डवा	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खण्डवा में स्मार्ट क्लॉस का निर्माण	21.04	12.62	8.42	6.31
		योगः–	**35833.04**	**21499.82**	**14333.22**	**10749.91**

3.2.2. राज्य योजनाएँ :–

1. मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :–

अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाऐं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ठ सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को 03 मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ की है। प्रत्येक पुरस्कार में रूपये 1.00 लाख नकद एवं प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाती है। तीन पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(1) **शहीद असफाक उल्लाह खां पुरस्कार** :–अल्पसंख्यक वर्ग की उत्कृष्ट समाज सेवा में योगदान के लिए ।

(2) **शहीद हमीद खां पुरस्कार** :–राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता, सामाजिक सद्भाव बढ़ानें वीरता एवं नागरिकों की सुरक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने के लिए।

(3) **मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार**:–साहित्य, कला, रंगकर्मी एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु ।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19, 2019–20 के लिए समाज सेवियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है ।

बजट प्रावधान – मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना अंतर्गत वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 46.38 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध था। पुरस्कार समारोह आयोजित न होने से राशि व्यय नहीं की गई।

2. अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना :–

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी कोचिंग संस्थानों के माध्यम से प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवक–युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2022–23 में योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग हेतु राशि रू. 54.66 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रावधानित राशि में से कुल राशि रू. 11160 /– का व्यय पूर्व के लंबित भुगतान हेतु किया गया है। जबकि म.प्र.शासन वित विभाग द्वारा जून 2023 में जारी आदेश के अनुसार योजनांतर्गत व्यय की अनुमति प्रदान नही किये जाने से वित्तीय वर्ष 2023–24 में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु योजना का संचालन नही किया जा सका है।

3.3 अभिनव योजनाएं

- संभागीय मुख्यालय इन्दौर, जबलपुर, भोपाल एवं ग्वालियर में भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसमें से इन्दौर एवं जबलपुर में 500 सीटर कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

- **पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक–युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना –** भारत सरकार नेशनल स्किल डवलपमेंट कॉन्सिल के टेक्निकल इनटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के आधार पर तैयार की गई इस विभागीय योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में पिछड़ा वर्ग के 45 युवाओं को कन्स्ट्रक्शन सेक्टर अंतर्गत एवं 15 युवतियों को केयर वर्कर जॉब रोल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है । योजना अंतर्गत इन प्रशिक्षित युवाओं को रूपये 01 लाख प्रतिमाह के वेतन पर 03 से 05 वर्षो के लिए रोजगार हेतु जापान भेजा जाना है । सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत प्रदेश के 05 युवाओं का प्लेसमेंट जापान स्थित कंपनियों में होने के पश्चात वे जापान प्रस्थान कर चुके है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु राशि रूपये 02 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है जिसके विरूद्ध राशि रू. 19.27 लाख का व्यय हुआ है।

भाग–4
विभाग द्वारा संचालित आयोग/निगम/उपक्रम/संस्थाएं

4.1 म0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :–

1. म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 (संशोधन) अधिनियम 2021 के अंतर्गत गठित आयोग है।
2. मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम 2021 की कंडिका– 3 (2) के अनुसार आयोग में पांच अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी । इनमें से एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में तथा एक अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उक्त कंडिका के क्रम में म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6/3/2020/54–1 दिनांक 06–10–2023 से अध्यक्ष के पद पर डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने दिनांक 13–12–2023 एवं श्री सीताराम यादव ने दिनांक 14–12–2023 को पदभार ग्रहण कर लिया है। शेष अशासकीय सदस्यों के पद रिक्त हैं।
3. आयोग के कृत्य :–

अधिनियम की धारा 9(1) के अनुसार–

(क) पिछड़े वर्गो के सदस्यों को संविधान के अधीन तथा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन दिये गये संरक्षण के लिये हितप्रहरी आयोग के रूप में कार्य करना और पिछड़ा वर्गो के अधिकारों एवं रक्षोपायों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों की जांच करना।

(ख) पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिये बने कार्यक्रमों के समुचित तथा यथा समय कार्यान्वयन की निगरानी करें तथा राज्य सरकार अथवा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण के कार्यक्रमों के संबंध में, जो ऐसे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है, सुधार हेतु सुझाव दें।

(ग) लोक सेवाओ तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह दें।

(घ) पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण का उपबंध करने के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर तैयार की गई सूचियों में किसी भी नागरिक को पिछड़ा वर्ग के रूप में सम्मिलित करने की प्रार्थनाओं का परीक्षण करना और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को पात्र न होने पर भी सम्मिलित करने या पात्र होने पर भी सम्मिलित न करने की शिकायतों को सुने और राज्य सरकार को ऐसी सलाह दें जैसी कि वह उचित समझें।

(ड़) पिछड़े वर्ग में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूह के प्रवर्ग सुनिश्चित करें।

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करें जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए।

अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार राज्य सरकार पिछड़े वर्गो को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

4.1.2. आयोग की शक्तियांः–

अधिनियम की धारा 10 अनुसार आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों को बाबत् किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात–

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट करने और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।
(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना।
(ड.) साक्षियों और दस्तावेज की परीक्षा के लिये कमीशन निकालनाः और
(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

4.1.3. आयोग के द्वारा किए गये कार्य :–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह मार्च, 2024 तक आयोग की 03 बैठकें आयोजित हुई है।
2. दिनांक 01–04–2023 से 31–03–2024 तक कुल 31 शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई हैं जिन्हें संबंधित अधिकारियों/विभागों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है ।

बजटः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोग को रूपये 161.72 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 124.61 लाख का व्यय किया गया ।

4.2 म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :–

मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 दिनांक 23.10.1996 से म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है एवं आयोग का मुख्यालय भोपाल है।

आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य के पदः–

म.प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3(2) के अनुसार आयोग में पदाधिकारियों के रूप में एक अध्यक्ष और चार सदस्य का प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । वर्तमान में अध्यक्ष और सदस्यों के सभी पद रिक्त हैं।

4.2.1 आयोग के कृत्य :–

- **अधिनियम की धारा 9(1) के अंतर्गत–**

(क) राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
(ख) संविधान में और संसद तथा राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबंधित रक्षोपायों के कार्य को मॉनिटर करना।
(ग) राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यन्वयन के लिए सिफारिशें करना ।
(घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समुचित प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना।
(ड़) अल्पसंख्यकों के विरूद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन करवाना और उनको दूर करने के लिए अधिउपायों की सिफारिश करना।
(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना।
(छ) किसी अल्पसंसख्यक समुदाय के संबंध में ऐसे समुचित अधिउपायों का सुझाव देना जो राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए।
(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर और विशिष्टतया उन कठिनाइयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिर्पोट देना।
(झ) कोई अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए, परन्तु यदि आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिश राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य से संबधित किसी मामले पर की गई सिफारिश के विरूद्ध है तो उस दशा में राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिश अभिभावी होगी।

- **अधिनियम की धारा 9(2) के अंतर्गत–**

आयोग को उपधारा (1) के उपखण्ड (ख) और (घ) में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी वाद का विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्–

(क) राज्य के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(घ) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना।

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

4.2.2 आयोग के द्वारा किए गए कार्य :–

अल्पसंख्यक आयोग में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 31 मार्च 2024 की स्थिति में प्राप्त 71 शिकायतों पर अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कार्यवाही गई गई, उक्त शिकायतें संबंधित विभाग/जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित की जा चुकी है ।

बजटः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल राशि रुपये 1,77,13,000/– का बजट प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 64,59,000/– व्यय की गई हैं ।

4.3 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपालः–

4.3.1 निगम की स्थापना एवं उद्धेश्यः–

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन वर्ष 1994 में कंपनी अधिनियम–1956 की धारा–25 के अंतर्गत हुआ है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र क्र. 10–08670 दिनांक 29–09–1994 है। निगम एक अलाभकारी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।

4.3.2 निगम की प्रशासकीय संरचना :–

वर्तमान में निगम में कुल 23 पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 14 नियमित अधिकारी/कर्मचारी एवं 02 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत है। कुल 16 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। निगम के संचालक मण्डल में 11 सदस्य है। जिसमें 09 शासकीय सदस्य एवं 02 अशासकीय (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) है।

4.3.3 राष्ट्रीय निगमों की जानकारी – राष्ट्रीय निगमों से वर्ष 1995 से 2008 तक प्राप्त कुल ऋण राशि रू. 4879.08 लाख प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध 13007 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

4.3.4. राष्ट्रीय निगमों की योजनाएं :–

राष्ट्रीय निगमों को वर्ष 2008–09 से कोई एक्शन–प्लान प्रेषित नही किया गया है। अतः राष्ट्रीय निगमों की किसी योजना का संचालन नही किया जा रहा है।

4.3.5 पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाएं एवं उपलब्धियॉं–विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक निगम के माध्यम से किया गया है। राज्य शासन की मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग स्वरोजगार योजना का वर्ष 2012–13 से वर्ष 2016–17 तक संचालन किया गया है।

4.3.6 वर्तमान में राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं का पुनः संचालन करना –

निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के पुनः संचालन हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय निगम नई दिल्ली को भेजा गया, जिसमें राष्ट्रीय निगमों द्वारा बताया गया है कि मध्यप्रदेश शासन से मिलने वाली शासकीय प्रत्याभूति की अवधि वर्ष 2013 में समाप्त हो चुकी है। उक्त शासकीय प्रत्याभूति के प्राप्त होने पर ही राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं का संचालन एवं राशि का आवंटन किया जावेगा। शासकीय प्रत्याभूति प्राप्त करने के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही जारी है ।

4.3.7 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसख्यक उद्यम/स्वरोजगार योजना–

वर्तमान में विभाग के पत्र क्रं. एफ 2–1/2022/54–1 दिनांक 20–12–2022 के द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम/स्वरोजगार योजना–2022 के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 में उक्त योजना में निगम द्वारा उद्यम योजना में 607 हितग्राहियों को एवं स्वरोजगार योजना में 465 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

निगम के लेखों से संबंधित जानकारीः–

1. निगम के वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों को विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखा जा चुका है।
2. निगम के वर्ष 2012–13 के अंकेक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से प्राप्त टिप्पणियों को विधानसभा सत्र में विधानसभा पटल पर रखे जाने की कार्यवाही की जा चुकी है।

4.3.8 बजट :– निगम को वर्ष 2023–24 के स्थापना अनुदान में राशि रू. 136.00 लाख प्राप्त हुए। अन्य किसी भी योजना में राशि का आवंटन नही किया गया है।

4.4 मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड :–

4.4.1 बोर्ड का गठन एवं उद्देश्यः–वक्फ अधिनियम 1995 अनुसार इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी सम्पत्ति का मुस्लिम विधि के अंतर्गत धार्मिक, पवित्र या खैराती प्रयोजनों के लिये किया गया स्थायी समर्पण ''वक्फ'' कहलाता है। ''वक्फ'' दो प्रकार के होते है (1) लोक वक्फ एवं (2) निजी वक्फ। वक्फ के माध्यम से वक्फ सम्पत्ति अल्लाह में निहित हो जाती है, लेकिन इसका उपयोग अल्लाह के बंदो के लाभार्थ, हितार्थ धार्मिक, पवित्र अथवा खैराती प्रयोजन हेतु किया जाता है।

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड राज्य की समस्त वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण नियंत्रण और प्रशासन का कार्य करता है। वक्फ अधिनियम 1995 (संशोधित) 2013, 1 नवम्बर 2013 से प्रदेश में लागू किया गया है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 4–4/2013/54–2 दिनांक 19.04.2023 वक्फ अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 13(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 14 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार

सदस्यों का निर्वाचन एवं नामांकन उपरांत राज्य शासन द्वारा वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड के सदस्यों की वर्तमान में संख्या–7 है।

जिला स्तर के वक्फों के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड द्वारा धारा–18 वक्फ एक्ट के तहत जिला वक्फ कमेटियों का गठन किया जाता है। यह कमेटियां बोर्ड की सहायक कमेटियों के रूप में मानक रूप से कार्य करती है, इसी प्रकार वक्फों के सुचारू संचालन प्रबंध एवं सुरक्षा हेतु स्थानीय वक्फो की प्रबंध कमेटियों का गठन भी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

4.4.2 बोर्ड की सम्पत्तियॉः–

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत वामसी रिकार्ड अनुसार प्रदेश भर में लगभग 14987 वक्फ एस्टेट्स एवं 33457 वक्फ सम्पत्तियां पंजीकृत एवं राजपत्रित हैं, जिनमें लगभग 5806 कब्रस्तान, 4703 मस्जिदें, 3716 दरगाहें, 613 ईदगाह, 52 स्कूल, 364 दारूल उमूल/मदरसे, 62 मुसाफिरखाना, 5324 दुकानें, 6295 मकानात एवं अन्य वक्फ सम्पत्तियां सम्मिलित है, साथ ही वक्फ कृषि भूमियों की संख्या 1795 है जिनका क्षेत्रफल लगभग 5791.143 हैक्टेयर है।

4.4.3 वक्फ बोर्ड की योजनाएँ :–

I. भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली की ''कौमी राज्य वक्फ बोर्ड तरक्कयाती योजना'' के अंतर्गत म.प्र. राज्य वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड समस्त वक्फिया सम्पत्तियों का जी.पी.एस./जी.आई.एस. का कार्य किया जा रहा है। वक्फ सम्पत्तियों के जी.पी.एस. कोअर्डिनेट्स कलेक्ट किये जाकर वक्फ सम्पत्तियों का जी.आई.एस. मेपिंग कराई जा रही है जो वामसी ऑनलाईन www.wamsi.nic.in पद पर उपलब्ध है। इस कार्य से वक्फियां सम्पत्तियों की भौतिक स्थिति एवं वर्तमान स्थिति का जानना संभव हो पा रहा है। जिससे लोग ऑनलाइन ही अपना रिकार्ड देख पाते है।

II. वामसी रजिस्ट्रेशन माड्यूल में 14987 (Waqf estates) एवं 33455 (Waqf Property) के रिकॉर्ड मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान आदि के रूप में एन्ट्री की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 237 चल सम्पत्तियां फीड की गई है। केन्द्रीय सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दिये गये अन्य माडयूल्स जैसे लीजिंग माडयूल में 148, रिटर्न फाइलिंग माडयूल में 11053 एवं लिटीगेशन माडयूल में 4918 (Internal + External Cases) प्रकरणों की जानकारी फीड की जा चुकी है।

III. म.प्र. वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 62 वक्फ ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 5.00 लाख से अधिक है।

IV. प्रदेश में कई वक्फ सम्पत्तियां जो राजस्व रिकार्ड में किसी अन्य के नाम नामांतरण हो गई थी, बोर्ड के प्रयास से वापस वक्फ सम्पत्ति के रूप में राजस्व रिकार्ड में वक्फ दर्ज कराई गई।

V. शिक्षा नीति मध्यप्रदेश राज्य में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 14985 वक्फ संपत्तियॉ है। इन संपत्तियों से प्राप्त आय में से 07 प्रतिशत राशि को चंदा निगरानी के रूप में स्थानीय प्रबंध कमेटियों द्वारा वक्फ बोर्ड को दी जाती है तथा शेष 93 प्रतिशत आय की राशि प्रबंध कमेटियों द्वारा अपने पास रखी जाती है।

बोर्ड द्वारा प्रबंध कमेटियों के पास शेष 93 प्रतिशत राशि में से 50 प्रतिशत राशि संबंधित जिले के गरीब मुस्लिम छात्रों की शिक्षा पर व्यय किये जाने में ''पढ़ो पढ़ाओं एवं मुल्क की तरक्की में भागीदार बनो योजना'' प्रारंभ की गई है।

VI. वर्ष 2024 से म0प्र0 राज्य की समस्त कृषि भूमियों की कृषि प्रयोजन हेतु वार्षिक नीलामी जिले एवं वक्फों की प्रबंध कमेटियों के सहयोग से पट्टा नियम 2014 संशोधित 2020 अनुसार

म0प्र0 वक्फ बोर्ड द्वारा सीधे तौर पर कराए जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। इससे वक्फों एवं बोर्ड के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।

4.4.4 **बजट** :– कार्यालय म.प्र. वक्फ बोर्ड को वर्ष 2020–21 में राशि रूपये 300.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 220.00 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 380.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रू. 1,84,90,643/–लाख व्यय हुए। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 220.00 लाख का प्रावधान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 220.00 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध राशि रू. 2,13,40,163/–की राशि व्यय की गई।

वक्फ सम्पत्तियों के अतिक्रमणकारियों पर की गई कार्यवाहीः–वक्फ जायदादों पर अवैध अतिक्रमण की शिकायतों पर बोर्ड द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा–54 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। 9 प्रकरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई।

वक्फ सम्पत्तियों को पट्टे पर देनाः– वक्फ अधिनियम 56 की उप धारा 1 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा वक्फ सम्पत्ति पट्टा अधिनियम 2014 बनाया गया है जिसे म.प्र. वक्फ बोर्ड द्वारा लागू कराया गया है। वक्फ सम्पत्तियों की किरायेदारी को पारदर्शी बनाये जाने के लिए म.प्र. राज्य के समस्त प्रबंध कमेटियों एवं मुतवल्लियों को वक्फ पट्टा नियम 2014 के नियमों के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए पाबंद किया गया है।

4.5 सर्वे वक्फ आयुक्तः–

सर्वे वक्फ आयुक्त ,राज्य में विद्यमान वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण, राज्य में स्थित वक्फों की संख्या, वक्फों का स्वरूप, उनके उद्धेश्य, वक्फ में समाविष्ट संपत्तियों की सकल आय की रिपोर्ट का कार्य कर राज्य शासन को रिपोर्ट देता है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 4(1) के द्वारा आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण को पदेन सर्वे वक्फ आयुक्त घोषित किया गया है। प्रदेश में स्थित वक्फ संपत्तियों के द्वितीय सर्वे में अब तक 28 जिलों की सर्वे रिपोर्ट जिला कलेक्टर (अपर सर्वे वक्फ कमिश्नर) से प्राप्त हुई है जिनका परीक्षण कार्य चल रहा है।

बजटः– वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 7.50 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 2.54 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 7.95 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध राशि रू. 2.73 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 8.54 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध राशि रूपये 2.97 लाख व्यय किया गया है।

4.6 मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी :–

हज कमेटी का गठन :–

मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी एक अनुदान प्राप्त संस्था है कमेटी का गठन लोकसभा द्वारा पारित भारत सरकार द्वारा लागू हज अधिनियम 2002 (क्र. 35) की धारा 17(1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय हज कमेटी, मुम्बई एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्य करती है। वर्तमान कमेटी का गठन राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 495/19/2022/54–2, भोपाल, दिनांक 01–11–2022 एवं अधिसूचना क्र. एफ 4/4/2/0001/2022/54–2 भोपाल दिनांक 18.05.2023 द्वारा किया गया है। जिसमें 13 सदस्य नामित किए गए हैं। गठित समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए है।

कार्य एवं गतिविधियांः–

4.6.1 हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई, द्वारा प्रतिवर्ष हज कार्यक्रम की घोषणा की जाती है । हज की घोषणा के पश्चात राज्य के समाचार पत्रों, दूरदर्शन केन्द्रों तथा आकाशवाणी के केन्द्रों के माध्यम से प्रेस नोट जारी करके एवं वेबसाइट के माध्यम से राज्य के इच्छुक हज आवेदकों से आवेदन आंमत्रित कराये जाते हैं।

4.6.2 गत वर्षो में मध्यप्रदेश के समस्त जिलों के हज यात्रियों को उनकी मांग के अनुसार हज आवेदन फार्म विस्तृत निर्देश सहित निःशुल्क वितरित किये गये थे परन्तु हज–2020 से हज कमेटी द्वारा केवल ऑनलाइन हज आवेदन ही आमंत्रित कराये जा रहे हैं । हज–2023 में भी ऑनलाइन हज आवेदन आमंत्रित कराए गए थे ।

4.6.3 हज यात्रियों की सुविधा हेतु मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी, हज हाउस, ग्राम सिंगारचौली, गूलमोहर गार्डन के पीछे, एयरपोर्ट रोड, भोपाल एवं पुराना सिटी कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी, ताजुल मसाजिद के पीछे, सुल्तानिया रोड, भोपाल में ऑनलाइन ई–सुविधा केन्द्र स्थापित कर इच्छुक हज आवेदकों से ऑनलाइन हज आवेदन कराये जाते हैं । गत वर्षो के समान हज–2023 में भी हज हाउस भोपाल एवं पुराना सिटी कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी में हज आवेदकों की सुविधा हेतु ऑनलाइन ई–सुविधा केन्द्र स्थापित कर इच्छुक हज आवेदकों से ऑनलाइन हज आवेदन कराये गए ।

4.6.4 इच्छुक हज आवेदकों द्वारा ऑनलाइन हज आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये जाते हैं जिसका हज कमेटी द्वारा परीक्षण पश्चात कवर नम्बर आवंटित कर संबंधित हज आवेदकों को उपलब्ध कराये जाते हैं। गत वर्षो के समान हज–2023 में भी इच्छुक हज आवेदकों द्वारा ऑनलाइन हज आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज स्केन कर अपलोड किये गए जिसका हज कमेटी द्वारा परीक्षण पश्चात कवर नम्बर आवंटित कर संबंधित हज आवेदकों को उपलब्ध कराए गए ।

4.6.5 हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा हर वर्ष हज यात्रियों की संख्या का कोटा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, इसलिए क्म्प्यूटराईज्ड कुराअन्दाजी के माध्यम से हज यात्रियों का चयन किया जाता है। हज–2023 हेतु भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी के माध्यम से भेजे जाने वाले हज आवेदकों हेतु Random Digital Selection की पद्धति से 5892 हज सीटों का प्रोवीजनल चयन किया गया।

4.6.6 हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा हर वर्ष हवाई जहाज का किराया तथा फारेन एक्सचेन्ज का रेट घोषित किया जाता है। राज्य हज कमेटी द्वारा हज कमेटी ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार हज यात्रियों को सूचित किया जाकर राशि जमा कराई जाती है ।

4.6.7 हज यात्रा का फ्लाइट मेनिफेस्ट कौंन्सिलेट जनरल ऑफ इण्डिया, जद्दा द्वारा तैयार कर हज कमेटी ऑफ इण्डिया को भेजा जाता है जिसके अनुसार हज कमेटी ऑफ इण्डिया द्वारा भारत के समस्त हज यात्रियों को कन्फर्मेशन कार्ड भेजकर हज यात्रा की तारीख की सूचना भेजी जाती है । वैकल्पिक व्यवस्था के मददेनजर मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी भी हज चात्रियों को सूचना देती है ।

4.6.8 हज यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश के हज यात्रियों की देखभाल के लिए खादिमुल हुज्जाज (हज सेवक) भेजे जाते हैं, जो कि हज यात्रियों की आवश्यकतानुसार सहायता करते हैं।

उपलब्धियांः–

1. राज्य शासन एवं केन्द्रीय हज कमेटी के संयुक्त व्यय पर प्रदेश के हज यात्रियों की देखरेख एवं सहायता हेतु ''हज सेवक'' खदिमुल हुज्जाजों को सऊदी अरब भेजा जाता है। हज–2023 में 16 ''हज सेवक'' खादिमुल हुज्जाजों को सऊदी अरब भेजा गया। इन 16 हज सेवकों द्वारा हज के दौरान म.प्र. के हज यात्रियों को उनकी आवश्यकतानुसार सहायताएं प्रदान की गई। परिणाम स्वरूप सभी हज यात्री सकुशल अपने प्रदेश वापस हुए।
2. भारत सरकार की नीति अनुसार हज–2023 में 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली 128 महिलाएं जो कि मेहरम के आवेदन करने के पश्चात बिना कुर्राअंदाजी के चयनित की गई थी।
3. कोविड–19 की महामारी के कारण वर्ष–2020 एवं 2021 में भारत की ओर से हज यात्रा पर भेजे जाने वाले यात्रियों हेतु सऊदी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगया गया था। भारत सरकार के प्रयासों से यह प्रतिबंध वर्ष–2022 में समाप्त हुआ। हज–2023 हेतु म.प्र. राज्य हज कमेटी के माध्यम से दिनांक 21.05.2023 से दिनांक 23.06.2023 तक 53 उड़ानों के माध्यम से 6379 हज यात्रियों को इन्दौर, भोपाल, मुम्बई, नागपूर, दिल्ली, लखनऊ एवं जयपुर इम्बार्केशन पॉइंटों से सीधे जद्दा सऊदी अरब हज यात्रा पर रवाना किया गया था जो कि हज पश्चात सकुशल अपने प्रदेश में वापस हुए
4. हज यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने हेतु उन्हें हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
5. हज यात्रियों की सुविधा हेतु प्रथम उड़ान से म.प्र. राज्य हज कमेटी द्वारा 24 घण्टे का कॉल सेंटर आरंभ किया जाता है जो कि हज यात्रियों की वापसी पर अंतिम उड़ान पश्चात् समाप्त कर दिया जाता है। इस कॉल सेंटर के माध्यम से सऊदी अरब में मौजूद प्रदेश के हज यात्रियों को आने वाली दुश्वारियों को दूर करने से संबंधित शिकायतों को पंजीबद्ध कर सऊदी अरब भेजे गये हज सेवकों के माध्यम से निराकृत कराया जाता है परिणाम स्वरूप हज यात्रियों द्वारा राज्य शासन एवं राज्य हज कमेटी द्वारा संचालित किये गये कार्यो एवं भेजे गये हज सेवकों की प्रशंसा एवं सराहना की गई है।

4.6.9 **बजट–**वर्ष 2021–22 में राशि रूपये 180.00 का प्रावधान किया गया था जिसके विरूद्ध राशि रूपये 90.00 लाख व्यय की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रूपये 180.00 लाख का बजट प्रावधान हुआ जिसके विरूद्ध राशि रूपये 87,72,823/– व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 180.00 लाख का बजट प्रावधान हुआ, जिसके विरूद्ध राशि रू. 180.00 लाख का व्यय हुआ।

4.7 मसाजिद कमेटी :–

कार्यालय मसाजिद कमेटी द्वारा तीन जिलों (भोपाल, सीहोर एवं रायसेन) के इमाम/पेश इमाम/मोअज्जिनो को मानदेय एवं स्टाफ को वेतन दिया जाता है एवं मसाजिद कमेटी के अंतर्गत दारूल क़जा, दारूल इफ्ता एवं मदरसा हमीदिया इस्लामिया हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मसाजिद कमेटी की शाखाओं द्वारा निकाह आदि की व्यवस्थाएं कराना एवं मुस्लिम समाज को धार्मिक परामर्श दिया जाता है।

बजट– वर्ष 2021–22 में राशि रू. 388.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरूद्ध राशि रू. 3,18,95,952/–लाख व्यय किये गये। वर्ष 2022–23 राशि रू. 388.00 लाख का प्रावधान था जिसके विरूद्ध राशि रू. 3,75,97,014/–लाख व्यय किये गये। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 388.00 लाख के प्रावधान के विरूद्ध राशि रू. 388.00 लाख व्यय की गई।

अनुदान राशि से 272 मस्जिदों के 389 इमाम/पेश इमाम/मोअज्जिनो को मानदेय भुगतान किया जाता है इसके अतिरिक्त शासन द्वारा मसाजिद कमेटी के 43 कर्मचारियों (स्वीकृत सेटअप क्रमांक एफ–4–4/2021/54–2 दिनांक 16–11–2021 अनुसार 43 पद स्वीकृत हैं) को भुगतान किया जाता है।

4.8 म.प्र. राज्य वक्फ अधिकरण :–

4.8.1 वक्फ सम्पत्तियों संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण का गठन किया गया हैं। वक्फ न्यायाधिकरण में जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के अधिकारी पीठासीन अधिकारी के पद पर पदस्थ है। वक्फ न्यायाधिकरण में सम्पत्तियों से संबंधित विवादों के बारे में इस न्यायाधिकरण को मूल एवं अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार में मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध भी पीड़ित पक्षकार वक्फ बोर्ड के विरूद्ध अपील पेश कर सकता है। वक्फ सम्पत्तियों के संबंध में इस अधिकरण का निर्णय अंतिम होता है, जिसके विरूद्ध अपील आदि का प्रावधान नहीं है।

4.8.2 **प्रकरणों का निपटाराः–** म.प्र. वक्फ अधिकरण में वर्ष 1995 से 31–03–2024 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या 5832 है जिसमें से 5244 प्रकरण निराकृत हो चुके है तथा 587 प्रकरण निराकरण हेतु शेष है।

बजट– म.प्र. वक्फ अधिकरण को वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 1,46,77,000 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध 31–03–2024 तक राशि रू. 69,99,900/– लाख व्यय की गयी है।

4.9 म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठनः–

4.9.1 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान, सामाजिक, शैक्षिणक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन एवं अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु दिनांक 02.09.2021 को गठन किया गया है।

म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पत्र क्र. 6–3/2021/54–1 भोपाल दिनांक 06.10.2023 के द्वारा मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की कण्डिका 1.4 के प्रावधान के अनुक्रम में मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के कार्यकाल में माह सितम्बर 2023 से 02 वर्ष (माह अगस्त 2025 तक) की वृद्धि की गई है।

म.प्र. शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपरोक्त समसंख्यक आदेश के द्वारा म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की कंडिका–03 के प्रावधानों के तहत श्री प्रदीप पटेल को अध्यक्ष के रूप में एवं श्रीमती कृष्णा गौर, श्री ऋषि यादव, श्री मान सिंह किरार को म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था ।

दिनांक 06–10–2023 को म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया था। वर्तमान में 02 सदस्य श्री ऋषि यादव एवं श्री मान सिंह किरार पदस्थ हैं ।

मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के द्वारा किये गये कार्यः–

01. वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोग ने प्रदेश के जिलों का भ्रमण किया तथा मुख्यालय पर भी लगातार बैठकों का आयोजन किया और अपने सुझाव व प्रस्ताव शासन को सौंपे।
02. वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोग में कुल 23 शिकायते प्राप्त हुई है जिन्हें संबंधित अधिकारियों/विभागों को कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।
03. वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह मार्च 2024 तक आयोग ने कुल 04 बैठके आयोजित की है।

बजट – वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल राशि रुपये 200.00 लाख का बजट प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 65.25 लाख व्यय की गई है।

4.9.2 आयोग राज्य शासन को निम्न विषयों पर सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकेगा–

1 प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन.
2 शासन के विभिन्न विभागों की संरचना एवं योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन.
3 राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों का अध्ययन.
4 राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आकलन तथा इसमें वृद्धि के उपाय.
5 राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा.
6 प्रदेश में पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु अन्य कोई उपाय तथा अनुशंसाएं।

4.10. मध्यप्रदेश देवनारायण बोर्डः–

मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ–6/2/2020/54–1 भोपाल, दिनांक 28.09.2020 के द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन गुर्जर समाज के विशेष संदर्भ में प्रभावी तरीके से करने हेतु सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रदान करने के लिए म.प्र. देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया है।

01. विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2023 द्वारा **श्री रघुवीर सिंह** को म.प्र. देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष(केबीनेट मंत्री दर्जा) नियुक्त किया गया है। बोर्ड में 02 सदस्यों की नियुक्तियां होना शेष है।

02. बोर्ड के उद्देश्य/कार्यः–

01. गुर्जर समाज के विशेष संदर्भ में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन।
02. गुर्जर समाज के शिक्षारत छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं कमियों का चिन्हांकन एवं सुधारात्मक अनुशंसाएं।
03. विभिन्न आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा रोजगार–स्वरोजगार हेतु आवश्यक प्रशिक्षण/आर्थिक सहायता।
04. राज्य के गुर्जर समाज के युवाओं के रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर के लिए अध्ययन एवं योजना हेतु सुझाव।
05. रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों हेतु कौशल संवर्धन कार्यक्रम की पहचान करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लागू कराना।
06. अन्य कोई सुझाव/अनुशंसा जो विशेष रूप से गुर्जर समाज के हित में हो।

4.11. मध्यप्रदेश मॉ अहिल्या देवी कल्याण बोर्डः–

मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित, भोपाल दिनांक 12 जुलाई, 2023 एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वल्लभ भवन के आदेश क्रमांक एफ–3–3–0001–2023–54–1 दिनांक 12 जुलाई, 2023 द्वारा पाल, गड़रिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिये जनहितकारी योजनाओं के निर्माण के सुझाव एवं अनुशंसा हेतु मॉ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश का गठन किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर डॉ राजेन्द्र सिंह पाल, जिला ग्वालियर को मनोनित किया गया है एवं सदस्य पद पर श्री मुकेश धनगर जिला बड़वानी को मनोनित किया है।

भाग–5
सामान्य प्रशासनिक विषय

विभागीय पदोन्नतियाँः– पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग से पृथक सेवा भर्ती नियम तैयार किये गये है तथा नवीन भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

2. **स्थानांतरणः–**मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गयाः–

सहायक संचालक			
स.क्र.	अधिकारी का नाम	स्थानांतरण पूर्व पदस्थ जिला	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अर्जुन कुमार मालवीय	शाजापुर	राजगढ़

विधानसभा संबंधी कार्यः– प्रतिवेदन अवधि में प्राप्त सभी विधान सभा प्रश्नों एवं अन्य सूचनाओं तथा ध्यानाकर्षण के उत्तर विधानसभा को प्रस्तुत किए गए।

भाग–6

प्रकाशन

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में कोई नवीन प्रकाशन नहीं कराया गया है।

भाग–7

राज्य महिला नीति के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं/गतिविधियों की जानकारी

1. पिछड़े वर्ग की कक्षा 6 से 10 तक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 11वी, 12वी और उससे आगे महाविद्यालयीन/तकनीकी कक्षाओं में उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्राओं को भी प्रदान की जा रही है जिसमें लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं को भी लाभांवित किया जाता है।
2. पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये मेधावी पुरस्कार योजना में 50 प्रतिशत महिला लाभार्थी का प्रावधान किया गया है। योजना में प्रति वर्ष प्रत्येक जिले में 02 बालिकाओं को लाभांवित किया जाता है। इस प्रकार कुल 102 बालिकाओं को लाभांवित किया जाता है।
3. पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों की रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत लगभग 30 प्रतिशत बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।
4. प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांवित हो रही है।
5. केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत संभागीय मुख्यालय जबलपुर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जिला दमोह में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिला उज्जैन में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांवित होंगी।
6. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना (पूर्व में एमएसडीपी योजना) अंतर्गत चिन्हित 5 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वर्ग की कन्याओं के लिए तीन 50 सीटर एवं एक 100 सीटर छात्रावास भवन भोपाल जिले में पूर्ण हो गए हैं तथा एक–एक 100 सीटर छात्रावास का क्रमशः श्योपुर, खरगौन, बुरहानपुर में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं महू केन्ट इन्दौर में भवन निर्माण प्रगति पर है। जिनमें शतप्रतिशत बालिकाएं लाभांवित होंगी।
7. विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में नवीन एवं नवीनीकरण सहित कुल 14 छात्राओं को विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई।
8. राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 47 महिला अभ्यार्थी को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई ।
9. म0प्र0 रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार योजना में प्रतिवर्ष 8 महिलाओं को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
10. सावित्री बाई फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार प्रदेश की 01 ऐसी महिला समाजसेवी को दिया जाता है, जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग की शिक्षा एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, साहित्य एवं कला का सृजन एवं प्रकाशन किए हो। 01 महिला समाजसेवी को रू. दो लाख नकद एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है।
11. विभाग की अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना में प्रतिवर्ष 1 महिला समाजसेवी को पुरस्कृत करने का प्रावधान किया गया है।
12. अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की प्रीमैट्रिक,पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 30 प्रतिशत राशि छात्राओं को वितरित किये जाने के नियम है।

———————————

मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों की सूची

क्र.	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत गोवारी(ग्वारी) गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी महाकुल(राउत) महकुल, गोप ग्वाली, लिंगायत, गोपाल ग्वाल, ग्वाला	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करने वाली जाति पशुपालन	यादव अहीर जाति की उपजाति के रूप में शामिल की गई है, अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती है, यादव राजपूत इसमें शामिल नही है। यह जाति म0प्र0 के इंदौर एवं खंडवा जिलों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य।
2	असारा, असाड़ा	कृषि कार्य	—
3	वैरागी (वैष्णव)	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है, ब्राहम्ण जाति के बैरागी शामिल नही किये गये है।
4	बंजारा, बंजारी, मथुरा, नायक, नायकड़ा धुरिया, लभाना, लबाना, लामने	घुम्मकड़ बैलों को हांककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बंजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राहम्ण शामिल नही है।
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, चौरसिया	पान उत्पादक व विक्रेता	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते है।
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढ़ई की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है।
7	बारी	पत्तों से पत्तल बनाने वाली जाति	—
8	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव, वासुदेवा, हरबोला, कापड़िया, कापड़ी, गोंधली, थारवार	विरूदावली गाना एवं बैल भैंसो का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमांक में वसुदेव जाति की सभी उपजातियों को शामिल किया गया है।
9	भड़भूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबंद्व करने वाली जाति शामिल नही है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया	राजा के सम्मान में प्रशंसात्मक कविता पाठ व विरूदावाली का गायन करना	—
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी,	कपड़ों में छपाई व रंगाई	—

	मनधाव		
12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर / मल्लाह / नावड़ा / तुरहा, केवट, (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कीर, ब्रितिया (वृत्तिया) सिंगराहा, जालारी, जालारनलु, सोंधिया (विलोपित)	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल–गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	बाथम, कश्यप, रायकवार, भोई जाति की उपजातियां हैं, इसी रूप में सम्मिलित की गई है। जालारी (जालारनलु) बस्तर जिले में पाई जाती है।
13	पंवार, पोवार, भोयर, भोयार,	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार / पवार राजपूत शामिल नहीं
14	भुर्तिया, भुतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	–
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राहम्ण है. सूची में शामिल किया गया है ।
16	भटियारा	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	–
17	चुनकर, चुनगर, कुलबंधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि में कारीगरी का कार्य करना	–
18	चितारी	दीवालों पर चित्रकारी करना	–
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपड़ा सिलाई करना	–
20	धोबी (भोपाल,रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर) बट्ठी, बरेठा, रजक	कपड़ा साफ करना	धोबी, भोपाल, रायसेन व सीहोर जिले में अनु.जाति में शामिल है.
21	मीना(रावत)देशवाली, मेवाती, मीणा(विदिशा जिलें की सिरोंज व लटेरी तहसील को छोड़कर)	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राहम्ण नही है. मीणा / मीना सिरोंज तहसील में अनु. जनजाति में घोषित है
22	किरार, किराड़, धाकड़	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नही है।
23	गड़रिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी (गड़रिया) गारी, गायरी, गड़रिया (पाल बघेले)	भेड़ बकरी पालना	गड़रिया जाति व उसकी उपजातियॉ अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं पाल व बघेले गड़रिया जाति को उपजाति के रुप में शामिल किये गये हैं. बघेले राजपूत पिछड़ी जाति में शमिल नहीं है.
24	कडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोड़ार	कपास की रुई धुनकने का कार्य करना. कडेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते है।	–

25	कोष्टा कोष्टी (देवांगन) कोस्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत) गढवाल, गरेवार, गरवार, डुकर, कोल्हाटी	बुनकर	इस समूह में सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्त्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते है.
26	धोली / ड़फाली / ड़फली / ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिव मंदिरो में पूजा व उपजातियॉ ढोल बजाने का कार्य करती हैं.	इस समूह में ब्राम्हण समूह शामिल नहीं है.
27	गुसाई, गोस्वामी	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरो में महंती	ब्राम्हण जाति से संबंधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नहीं है.
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नहीं हैं.
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गड़ोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गड़ोला, लोहार (विश्वकर्मा)	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राम्हण वर्ग सम्मिलित नहीं है.
30	गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते है. जोगी व इस समूह की अन्य जातियॉ धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं	''जोगी'' धार्मिक भिक्षावृत्ति करते हैं लेकिन इस समूह में जो ब्राम्हण हैं, वे शामिल नहीं हैं
31	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं हैं
32	सोनार,सुनार, झाड़ी (स्वर्णकार) अवधिया औधिया, सोनी (स्वर्णकार)	स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण उगढने व बनाने का कार्य करना	इस समूह में सोना–चांदी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नहीं हैं.
33	(अ) काछी (कुशवाहा, शाक्य, मोर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा),पनारा, मुराई, सोनकर कोहरी (ब) माली(सैनी), मरार, फूलमाली(फूलमारी)	शाक–सब्जी उत्पादन व साग–सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी कृषि कार्य एवं मजदूरी – बागानों में फूलों की खेती, हार, माला बनाना	''कुशवाहा'' काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति हैं. काछी जाति के शाक्य व मोर्य भी उपजातियां है। यह जाति मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है. कुशवाह राजपूत इसमें शामिल नहीं है. यह जाति मुख्यतः म.प्र. के बालाघाट, धार, खण्डवा, उज्जैन जिलों में पाई जाती है किन्तु संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य होगी।

34	जोशी (भड़्ड़री) ड़कोचा, ड़कोता	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते हैं, जोशी ब्राहम्ण इसमें शमिल नहीं हैं
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करने कांच की चूड़ियां बेचना	—
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	तांबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना.	—
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक,	—
38	कुम्हार (प्रजापति), कुंभार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ,सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिलो को छोड़कर)	मिट्टी के बर्तन बनाना	कुम्हार जाति छतरपुर, दतिया, पन्ना, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं.
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी) कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रानाहू, कुंभी गवैल (गमैल) सिरवी	कृषक, कृषि मजदूरी	—
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	—
41	कौरव, कांवरे	कृषक	—
42	कलार (जायसवाल) कलाल, ड़ड़सेना	मदिरा (शराब) बेचना	—
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	—
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे, ओड़िया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुड़हा, मुड़ाहा	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	—
45	नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास) म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना.	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रुप में सम्मिलित की गई हैं.
46	नायटा, नायड़ा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	—
47	पनका, पनिका (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, सतना, रीवा, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिलो को छोड़कर)	मजदूरी करना गांव की चौकीदारी करना. बुनकर	''पनिका'' छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ, रीवा, सतना, सीधी, शहड़ोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली जिले में अनु. जनजाति में शामिल हैं.
48	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोड़कर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	—
50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के	—

		औजारों की धार तेज करना	
51	तेली (ठाठ, साहू, राठौर)	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को साहू व राठौर कहते है।. राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इसमें शामिल नहीं हैं.
52	तुरहा, तिरवाली, बड़्ड़र, मिर्धा (विलोपित)	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	–
53	तवायफ (विलोपित), किसड़ी, कसड़ी	नाच–गाकर मनोरंजन करने वाले	–
54	वोवरिया	मजदूरी	अनुसूचित जनजाति कोरकू की उपजाति है. बैतूल जिले की भंवरगढ क्षेत्र में निवास करती है.
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती है. पूर्व में सैनिकवृत्ति करती थीं	सरगूजा तथा जसपुर क्षेत्र में पाई जाती है.
56	मानकर, नहाल	जंगली जनजाति मजदूरी करना	मानकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल.
57	कोटवाल (भिण्ड,धार,देवास,गुना, ग्वालियर, इन्दौर,झाबुआ खरगौन, मंदसौर ,मुरैना, राजगढ़, रतलाम शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, आगर–मालवा, अलीराजपुर जिलों को छोड़कर) कोटवार विलोपित	ग्राम चौकीदारी	कोटवाल जाति को भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम,शाजापुर शिवपुरी, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, आगर–मालवा, अलीराजपुर जिलों में अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है.
58	खैरूवा (विलोपित)	कत्था बनाना	खैरूवा, खैरवार की उपजाति है. खैरवार अनु.जनजाति में शामिल है.
59	लोढ़ा(तंवर)	कृषक, मजदूरी, लकड़ी बेचकर जीवन यापन करना	–
60	मोवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जजा
61	रजवार	कृषक, कृषि मजदूर	–
62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63	तिउर, तूरी	मछली पकड़ना व उसका व्यवसाय करना नाविक बांस एवं बैंत का सामान बनाने का कार्य करना	–

64	भारूड़	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढ़ोना	मुगलकाल में फौज की रसद ढ़ोने का कार्य भी करते थे.
65	सुत सारथी–सईस / सहीस	घोड़ों की देखरेख, घोड़ागाड़ी हांकना	–
66	तेलंगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलगु भाषी है. विशेषकर बस्तर जिलें में पाई जाती है.
67	राघवी	कृषि कार्य करना	–
68	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	–
69	खारोल	कृषि मजदूरी	–
70	सरगरा (विलोपित)	–	–
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय, भैंस पालना और दूध का व्यवसाय करना	–
72	रज्जड़, रजझड़	कृषि मजदूरी	–
73	जादम	कृषि मजदूरी	–
74	दांगी / डांगी	कृषक	राजपूत इस सूची में सम्मिलित नही है.
75	गयार / परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकड़कर बेचने वाले	रायगढ़ जिलें में अधिकतर पाये जाते है.
76	कुड़मी	कृषक	अधिकतर बैतूल जिलें में निवास करते हैं.
77	मेर	कृषि मजदूर	गुना जिलें में आबाद है
78	वया महरा / कौशल, वया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिलें में निवास करते है.
79	पिंजारा (हिन्दू)	–	–
80	विलोपित	–	–
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है.	अनु.जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है
82	आंजना	–	–
83	धोरिया	–	–
84	गेहलोत मेवाड़ा	–	–
85	रेवारी	–	–
86	रूवाला / रूहेला	कृषि	–
	मुस्लिम धर्मावलम्बी समूह की जातियां		
87	(1) रंगरेज	कपड़ों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवहार
	(2) भिश्ती, अब्बासी ''सक्का''	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपड़ों में छपाई करना	हिन्दु छीपा जाति के समान व्यवहार
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह

			कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	–
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवस्था
	(7) मेवाती	कृषि पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
	(8) पिंजारा, नद्दाफ, बेहना, धुनिया, धुनकर, फकीर, शाह, साई कब्रखोदू	रूई धुनाई का कार्य भिक्षावृत्ति एवं कब्र खोदना	हिन्दुओं में कडेरा जाति के समान
	(9) कुंजड़ा राईन	साग सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग सब्जी का कार्य
	(10) मनिहार	कांच की चूड़ियां व बिसैंत खाने का सामान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मांस/गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटीक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति के तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी/रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय
	(14) बढ़ई (कारपेन्टर) खरादी कमलीगर	लकड़ी का सामान एवं फर्नीचर बनाने का काम लकड़ी पर खरादी का कार्य तथा लाख का कार्य करना	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा यह जाति सूची के क्र.87(14) पर अंकित बढ़ई (कारपेंटर) के आगे जोड़ी जाने से कैफियत पूर्ववत रहेगी।
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं में नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढ़ोना व पल्लेदारी करना	–
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं)	कपड़ा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य समान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तड़वी	कृषि कार्य	–
	(20) बंजारा	घुमक्कड़ जाति/समूह बैलगाड़ी से सामान ढ़ोना तथा पशुओ को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं में बंजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमड़े के जूते चप्पल आदि बनाना	हिन्दुओं में चमार जाति के समान व्यवसाय
	(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा
	(23) पेमदी	पेड़ पौधो की कलम लगाने का	–

		धंधा	
	(24) कलईगर	बर्तनों व अन्य समान में कलई करना	–
	(25) नालबन्द	बैलों व घोड़ो के पैरों में नाल बांधने का काम	–
	(26) शीशगर	–	–
	(27) गोली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय करना	क्रमांक 1 पर हिन्दू गोली के समकक्ष जाति
	(28) राजगीर	ईंट की जुड़ाई चूनागारा भवन निर्माण का कार्य	क्रमांक 17 पर हिन्दू राजगीर के समकक्ष जाति
	(29) डफाली	मांगना	क्रमांक 26 पर हिन्दू डफाली के समकक्ष जाति
	(30) घोषी व गवली, गोली	दूध बेचना व पशु चराना	क्रमांक 31 पर हिन्दू घोषी के समकक्ष
	(31) सिकलीगर	औजारों पर धार लगाना	क्रमांक 50 पर हिन्दू सिकलीगर के समकक्ष जाति
	(32) संतरास	पत्थर की जुड़ाई एवं कटाई	सूची क्रमांक 52 पर हिन्दुओं के समकक्ष मुस्लिम संतरास पत्थर तराशने का कार्य करते है
	(33) नट	कलाबाजी दिखाना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित नट जाति के समकक्ष जाति
	(34) शेख मेहतर	सफाई कामगार के रूप में कार्य करना	अनुसूचित जाति में सम्मिलित हिन्दू मेहतर के समकक्ष जाति
	(35) नियारगर	सुनार व सड़क की धूल कचरे व नदी नाले की मिट्टी एकत्रित कर उसे धोकर उसमें से धातु को एकत्रित कर सुनारों के पास बेचना	मुख्यतः मन्दसौर, रतलाम, इन्दौर, देवास, उज्जैन जिलों में निवासरत संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य
	(36) गद्दी	पशुपालन, कृषि तथा मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र. में विदिशा, गुना, राजगढ़, इन्दौर, रतलाम, भोपाल, सतना, श्योपुर जिलों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य
	(37) मुकेरी, मकरानी	पशुपालन एंव पशु व्यवसाय	
	(38) भांड नक्काल	राजदरबार व महफिलों में नौटंकी, नाच, गाने, कव्वाली, बैण्ड बजाना व विभिन्न मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र. के ग्वालियर, भिण्ड, रीवा, दमोह एवं मुरैना जिलों में पाई जाती है, किन्तु संपूर्ण म.प्र. के लिए मान्य होगी।
88	बैसवार	कृषि एवं कृषि मजदूरी करना।	
89	वाणी	आदिवासी अंचलों में वनोपज का व्यवसाय एवं ग्रामीण अंचलों	

		में लगने वाले हाट बाजारों में सड़क किनारे दुकानें लगाने का छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले	
90	विश्नोई	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः म.प्र. के हरदा, होशंगाबाद, देवास, खण्डवा, नरसिंहपुर, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य।
	जाट	कृषि एवं कृषि मजदूरी	यह जाति मुख्यतः हरदा, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, देवास, रायसेन, इन्दौर, रतलाम, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, खण्डवा जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। संपूर्ण म.प्र. के लिये मान्य है।
91	राठौर जाति	कृषि एवं कृषि मजदूरी	1. यह जाति मध्यप्रदेश में मुख्यतः डिण्डौरी, उमरिया व शहडोल जिलों में निवासरत है। 2. क्षत्रिय राजपूत राठौर इसमें शामिल नही होगें।
92	बहावलपुरी	कृषि, मजदूरी	विद्यमान पाकिस्तान के बहावलपुर प्रांत से विस्थापित होकर सीहोर शहर व बुदनी नगर में बसाए गये मूल परिवार के लोगों को पिछड़ा वर्ग मान्य किया जाता है।
93	सौंधिया	मछली पकड़ना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाड़ा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाने का कार्य। 2. कृषि कार्य एवं पशुपालन	(महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र के जिलो में) 2. समस्त प्रदेश। इसमें सोंधिया जाति के वे लोग भी जो अपने को सोंधिया राजपूत कहते हैं, शामिल होंगे।
94	ट्रांसजेण्डर	—	—

मान. मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर द्वारा शासकीय पिछड़ा वर्ग, पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास, भोपाल का निरीक्षण

मान. मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर द्वारा शासकीय पिछड़ा वर्ग, पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, जबलपुर का निरीक्षण

विदेश में रोजगार की योजना अंतर्गत प्रशिक्षणरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी

विदेश में रोजगार योजनांतर्गत चयनित छात्रों को रोजगार हेतु जापान प्रस्थान के पूर्व मान. मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर द्वारा प्रशंसा पत्र एवं जापानी वीज़ा का वितरण